

राजस्थान लोक अदालत वैद्य कोर्ट 2018

तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
वैद्य कोर्ट मुकाम साम पंचायत देरवाला
प्रकरण संख्या 61/2017


संख्या - जे.ए. 307-2017
म्यु.न. संख्या 2017
अभियोग - 2017

उपवाचन
शमसतार बनाम याकूब वगैरह

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत प्रायः 212 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रावधान 39 नियम 1 व 2 प्रायः 161 की पी.सी.

19.06.2018

यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत साम पंचायत देरवाला में पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय द्वारा कौशल प्राप्ति को समुचित अवसर अवशेष अप्रार्थी की तलबी पेश करने हेतु दिये जाने के उपरान्त भी तलबी पेश नहीं की गई है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार हाकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दायिल दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)